'टैरिफ का सॉल्यूशन नहीं निकला तो एक साल में 70 फीसदी तक यार्न इंडस्ट्री खत्म हो जायेगी'

वूलन और यार्न फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर, एक से सवा लाख मजदूर और भेड़पालकों के सामने भी संकट खड़ा हुआ

बीकानेर, (निसं)। अमेरिका के 50 फीसदी टैरिफ से बीकानेर सहित राजस्थान की वूलन और यार्न (सूत) इंडस्ट्री कमजोर पड़ गई है। फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर हैं। एक से सवा लाख मजदूर और भेड़पालकों के सामने भी रोजगार का संकट खड़ा हो गया है।

कारोबारियों का कहना है कि टैरिफ के कारण प्रदेश में 1200 करोड़ की इंडस्ट्री का आकार घटना शुरू हो गया है। 150 से 200 करोड़ के ऑर्डर होल्ड पर चले गए हैं। अगर सॉल्यूशन नहीं निकला तो एक साल के भीतर इंडस्ट्री 70 फीसदी तक खत्म हो जाएगी। वूलन इंडस्ट्री एसोसिएशन के अनुसार टैरिफ के बाद राजस्थान में अगर वित्तीय सहायता नहीं मिली तो करीब एक लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे। राजस्थान की वूलन और यार्न इंडस्ट्री की 70 फीसदी खपत अमेरिका में होती है। जिस तरह से भारतीय घरों में टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन जरूरी है, उसी तरह अमेरिका में कालीन जरूरी सामान है। वहां लोग इसे फर्श और दीवारों पर लगाते हैं।

राजस्थान वूलन इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कमल कल्ला ने बताया कि बीकानेर, ब्यावर और भीलवाड़ा सहित प्रदेशभर में सवा लाख लोग है, जो वूलन और यार्न इंडस्ट्री से जुड़े हैं। इनमें सर्वाधिक संख्या मजदूरों की है। भेड़ मालिकों की भी बड़ी तादाद है। अमेरिकी टैरिफ का असर सिर्फ फैक्ट्री मालिक पर नहीं पड़ रहा है। लेबर के लिए रोजी-रोटी का संकट आ जाएगा। अगर ऑर्डर 30 प्रतिशत रहेगा, तो 70 प्रतिशत लेबर भी कम हो जाएगी। बीकानेर में हर रोज 2 से ढाई लाख किलो यार्न बनती है। अब ये आधा हो गया है। इसे भी स्टॉक किया जा रहा है। फिलहाल लेबर एक्सेस है, इसलिए उसे रोक कर काम करवा रहे हैं।

बीकानेर सहित राजस्थान में करीब 350 यूनिट्स में भेड़ के बालों से धागा बनाने का काम होता है। इसी धागे से कालीन तैयार होता है। 50 फीसदी टैरिफ के बाद अमेरिका से कालीन के ऑर्डर लगभग बंद हो गए हैं। इससे उत्तर प्रदेश के भदोही सहित देशभर में कालीन उद्योग संकट में आ गया है। इसी का सीधा असर बीकानेर और ब्यावर में भी दिखाई दे रहा है। भारतीय सामानों पर 27 अगस्त को अमेरिका ने 50 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया। इसका असर अब उन भारतीय कारोबार पर दिखने लगा है, जिनका माल अमेरिका एक्सपोर्ट होता था। टैरिफ लगने से भारत के प्रोडक्ट महंगे हो गए। लिहाजा अमेरिकी बाजार में उनकी डिमांड कम होना तय है। एक्सपोर्ट रुकने से प्रोडक्शन घटेगा, इससे रोजगार पर संकट आ रहा है।

- **कारोबारियों का कहना है कि टैरिफ के कारण प्रदेश में 1200 करोड़ की इंडस्ट्री का आकार घटना शुरू हो गया है**
- **बीकानेर सहित राजस्थान में करीब 350 यूनिट्स में भेड़ के बालों से धागा बनाने का काम होता है, इसी धागे से कालीन तैयार होता है, 50 फीसदी टैरिफ के बाद अमेरिका से कालीन के ऑर्डर लगभग बंद हो गए हैं**

बीकानेर में धागा बनाने की फैक्ट्री के संचालक संजय राठी का कहना है कि पिछले एक महीने से हम सिर्फ धागा बना रहे हैं। इसका एक्सपोर्ट नहीं कर रहे। पहले बना धागा अगर एक्सपोर्ट नहीं होगा तो हम किसके लिए बनाएंगे। बीकानेर की अधिकांश धागा बनाने वाली फैक्ट्रियां जैसे-तैसे काम तो कर रही हैं, लेकिन आगे माल नहीं जा रहा। ऐसे में कब तक इसका स्टॉक किया जा सकता है। हालात देखते हुए आने वाले दिनों में धागा बनाने का काम बंद करना पड़ सकता है। केंद्र सरकार अगर वित्तीय सहायता नहीं देगी, तो ये उद्योग बंद हो सकता है। वूलन और यार्न फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर बिहार व अन्य प्रदेशों से आते हैं। फैक्टरी मालिक ऑर्डर नहीं होते हुए भी काम करवा रहे हैं, ताकि मजदूर यहीं रहें। उन्हें डर है कि अगर ये मजदूर चले गए तो वापस नहीं आएंगे। अगर टैरिफ वार खत्म होने के बाद कालीन उद्योग के अच्छे दिन आ भी गए तो उन्हें मजदूर नहीं मिलेगा। इस डर से फिलहाल स्टॉक तो बढ़ाया जा रहा है, लेकिन एक्सपोर्ट नहीं होने से स्टॉक जस का तस पड़ा है।

वूलन इंडस्ट्री से जुड़े जय सेठिया का कहना है कि कालीन बनाने वाले अधिकांश ऑर्डर होल्ड पर आ गए हैं। ऐसे में कालीन नहीं बन रहे हैं। इसके कारण धागे के ऑर्डर भी होल्ड पर आ गए हैं। बीकानेर की 300 से ज्यादा फैक्ट्रियों में 150 से 200 करोड़ के ऑर्डर होल्ड पर हैं। धीरे-धीरे यूनिट्स बंद हो रही हैं। टैरिफ लगने से पहले दो-तीन महीने के ऑर्डर एडवांस चल रहे थे, लेकिन अब धीरे-धीरे रुक गए हैं। सिर्फ लेबर को बनाए रखने के लिए काम करवा रहे हैं। ये भी कब तक चलेगा।

एसोसिएशन अध्यक्ष कमल कल्ला का कहना है कि व्यापारी और फैक्टरी मालिक एक महीने से लेबर से काम करवा रहे हैं, लेकिन ऑर्डर नहीं है। अब कुछ दिन और बिना काम लेबर को रखा जा सकता है। ये लेबर एक बार चली गई तो वापस नहीं आएगी। फिर ऑर्डर होंगे तो भी काम मुश्किल होगा।

वूलन इंडस्ट्री से जुड़े कारोबारी बृजमोहन चांडक का कहना है कि अमेरिका में घर बड़ा होता है, जिससे कालीन भी बड़ा लगता है। भारत की रेट अमेरिका के हिसाब से किफायती है, लेकिन टैरिफ के बाद कीमतें बढ़ गई हैं, इससे माल का रुकना तय है। इसका सीधा असर फैक्ट्रियों पर पड़ रहा है और हमारी रफ्तार धीमी पड़ कर जल्द ही यार्न इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी।

पॉक्सो के दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई

भीलवाड़ा, (निसं)। सात साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को आजीवन उम्रकैद की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार अक्टूबर 2024 में दोषी सुखपाल जाट सात साल की बच्ची को बहला फुसला कर ले गया था। वहां पहले उसकी अश्लील फोटो लिए फिर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। बच्ची घर आई तो गुमसुम रहने लगी। मां ने प्यार से पूछा तो बच्ची ने हेवानीयत के बारे में खुलासा कर दिया। पुलिस में मामला दर्ज कराया गया। दोषी सुखपाल जाट को गिरफ्तार कर लिया।

कार्यालय जिला परिषद, कोटा
(महात्मा गांधी नरेगा)
सी.ए.डी. सर्किल, कोटा (राजस्थान), फोन. नं. 0744-2503588, ई-मेल : pd-kot-rj@nic.in
क्रमांक :- एफ/स्टोर/2025-26/117 दिनांक :- 09/09/2025
बोली आमंत्रण सूचना
कार्यालय जिला परिषद कोटा (महात्मा गांधी नरेगा प्रकोष्ठ) में लेखन सामग्री (स्टेशनरी) क्रय करने हेतु निविदा दिनांक 15.09.2025 को दोपहर 03:00 PM तक आमन्त्रित की जाती है। जो इसी दिनांक को सांय 05:00 PM पर खोली जावेगी।
बोली के क्रम में अन्य विवरण लोक उपापन पोर्टल https://sppp.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है। NIB कोड -ZKT2526A0085
UBN कोड - ZKT2526GSOE00474
अति० जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् कोटा
राज.संवाद/सी/25/9767

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
कॉर्पोरेट आइडेन्टीफिकेशन नम्बर (सीन)-यू40109आरजे2000एसजीसी016483 पंजीकृत कार्यालय : न्यू पॉवर हाउस, जोधपुर-342003, कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता (सी.एस.एस.) फोन नं. :0291-2742336 फैक्स नं. : 0291-2745259
ईमेल : secssjodhpur@gmail.com, वेबसाईट : http://energy.rajasthan.gov.in/jdvvnl
No. : Jd.VVNL/SE(CSS)/JU/XEN(RDSS-I)/D. Dated :
ई-निविदा सूचना
टी.एन.टी.डब्लू.-782 (UBN-JVV2526SLOB00502) के माध्यम से विद्युत वितरण क्षेत्र की पुर्नोत्थान संशोधित सुधार- बद्ध परिणाम-आधारित योजना के तहत जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. को परियोजना प्रबंधन में सहायता और समर्थन के लिए एवं परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) की नियुक्ति के लिए पात्र बोलीदाताओं से दो भाग (तकनीकी-वाणिज्यिक एवं मूल्य बोली) में ई-निविदा आमंत्रित की जाती हैं। कार्य की अनुमानित लागत 34.88 करोड़ रुपये है।
निविदा संख्या निविदा लागत, बोली सुरक्षा राशि, निविदा खोलने की तिथि आदि के बारे में विवरण वेबसाइट http://energy.rajasthan.gov.in/jdvvnl, http://sppp.rajasthan.gov पर उपलब्ध हैं। बोलीदाताओं से, उनके अपने हित में, वेबसाइट www.eproc.rajasthan.gov.in पर ऑनलाइन बोली जमा करने से पहले निविदा दस्तावेजों को बहुत ध्यान से पढ़ने का अनुरोध किया जाता है।
नोट : इच्छुक बोलीदाता कृपया ध्यान दें कि भविष्य में उपरोक्त निविदाओं के लिए संशोधन/शुद्धिपत्र/परिशिष्ट/तिथि विस्तार आदि के संबंध में कोई अन्य सूचना केवल उपरोक्त वेबसाइटों पर उपलब्ध होगी।
राज.संवाद/सी/25/9734 अधीक्षण अभियन्ता (सी.एस.एस.)
बिजली संबंधी शिकायतों के लिए टोल फ्री नम्बर 1800 180 6045

80 लाख का डोडा-चूरा पकड़ा

भीलवाड़ा, (निसं)। आईपीएस माधव उपाध्याय सीओ सदर के नेतृत्व ने मंगरोप थाना पुलिस ने 80 लाख रूपये का डोडा-चूरा पकड़ा। वहीं एक लग्जरी कार जब्त करने में सफलता हासिल की है। आईपीएस उपाध्याय ने बताया कि भीलवाड़ा-चित्तौड़ राजमार्ग पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। एक स्कॉर्पियो वाहन को भी किया जब्त किया है। स्कॉर्पियो वाहन से 24 कट्टे में भरा 4 क्विंटल 46 किलो डोडा-चूरा जब्त किया गया। तस्कर वाहन छोड़कर फरार हो गए थे।

डीडवाना कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार के वाहनों को कुर्क करने का आदेश

डीडवाना, (निसं)। डीडवाना के अपर जिला न्यायाधीश ने बड़ा फैसला सुनाते हुए डीडवाना जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी और तहसीलदार के वाहनों को कुर्क करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने वक्फ से जुड़े एक मामले में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा 8 सालों से बार बार जारी कोर्ट के आदेशों की पालना नहीं करने पर फैसला दिया है। न्यायालय ने प्रशासनिक अधिकारियों को कोर्ट की अवमानना का दोषी मानते हुए तीनों अधिकारियों की गाड़ियों को कुर्क करने के आदेश दिए हैं।

कोर्ट ने अपने फैसले में जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी और तहसीलदार तीनों को ही लापरवाह अधिकारी बताया है। कोर्ट ने कहा कि न्यायालय में 8 सालों से लंबित प्रकरण में बार-बार आदेश जारी होने के पश्चात भी प्रशासनिक अधिकारी केवल खानापूर्ति कर अगली तारीख प्राप्त कर मामले को टरकाने का प्रयास कर रहे हैं और अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं। यह अधिकारी जान बुझकर इजराय की पालना नहीं कर रहे हैं। ऐसे में प्रशासन के इन लापरवाह अधिकारियों को न्यायालय के आदेश न मानने की खुली छूट नहीं दी जा सकती।

- **आठ साल से अदालत की आदेशों की पालना नहीं करने पर कोर्ट ने फैसला सुनाया**
- **वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले की आठ साल से पालना नहीं की जा रही थी, कोर्ट ने इसे न्यायालय की अवमानना माना**

अपर सेशन न्यायाधीश ने वक्फ कमेटी डीडवाना बनाम राज्य सरकार के मामले में दायर इजराय याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है कि राजस्थान वक्फ न्यायाधिकरण जयपुर ने सिविल वाद संख्या 43/2003 में 21 दिसंबर 2015 को फैसला सुनाते हुए यह आदेश दिया था कि गजट नोटिफिकेशन में डीडवाना में वर्णित भूमि कब्रिस्तान की वक्फ जायदाद है तथा गजट नोटिफिकेशन के अनुसार जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी व तहसीलदार इस कब्रिस्तान की भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करें तथा कब्रिस्तान की भूमि में किसी प्रकार की तब्दील करने व उसको किसी को अंतरण करने के लिए वह शाश्वत कल तक विरत रहेंगे।

उक्त निर्णय की पालना के लिए अपर जिला न्यायाधीश की अदालत में वर्ष 2016 में इजराय याचिका दायर की गई थी। इस याचिका के बाद न्यायालय ने राजस्थान वक्फ न्यायाधिकरण के निर्णय की पालना के लिए उपखंड अधिकारी, जिला कलेक्टर व तहसीलदार को बार-बार पत्र लिखे, वहीं 4 जून 2025 को जिला कलक्टर डीडवाना- कुचामन को उक्त आदेश की क्रियान्विति के लिए तहरीर भी जारी की थी, वहीं 7 जुलाई 2025 को उक्त आदेश की पालना हेतु हुकमनामा भी जारी किया गया था। इसके बावजूद डीडवाना-कुचामन प्रशासन की ओर से इजराय की पालना में कोई कार्य नहीं किया गया, जबकि इस न्यायालय के आदेश समीचीन है। कोर्ट ने माना कि ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकरण में पारित निर्णय की प्रशासनिक अधिकारी क्रियान्वित करना ही नहीं चाहते, जबकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इजराय प्रकरणों को 6 माह में निस्तारित करने का आदेश है। साथ ही हस्तगत प्रकरणों में सर्वोच्च न्यायालय के लक्षित प्रकरणों के संबंध में राष्ट्रीय कार्य योजना (चतुर्थ) में भी यह प्रकरण अपना स्थान रखता है।

यह प्रकरण भी 8 सालों से लंबित है और बार-बार आदेश जारी होने के पश्चात भी प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। इस पर कोर्ट ने इस मामले में जारी हुकुम नामों की पालना न करने को अवमानना की श्रेणी में मानते हुए कहा कि प्रशासन के लापरवाह अधिकारियों को न्यायालय के आदेश न मानने की खुली छूट नहीं दी जा सकती, लिहाजा न्यायालय ने इजरायल की पुष्टि के लिए धारा 51 सीपीसी सपठित आदेश 21 नियम 32 के तहत डिक्री की पालना के लिए जिला कलेक्टर डीडवाना-कुचामन, उपखंड अधिकारी डीडवाना और तहसीलदार डीडवाना के वाहनों को कुर्क करने का आदेश दिया।

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
PWD DIVISION DHOLPUR
File No. 1742-1747 **Notice Inviting Bid** Date: 01.09.2025
NIB CODE PWD2526A3041 and UBN is: PWD2526WSOB11420
NIB CODE PWD2526A3041 and UBN is: PWD2526WSOB11423
Bids For NIT No. 07/2025-26 Mise. Work of PWD Division Dholpur of subject matter(s) of Procurement are Invited from interested bidders date 07.09.2025 11.00 AM to Date 14.09.2025 upto 6.00 Noon. Other particulars of the id may be visited on the procurement portel (http://eproc.rajasthan.gov.in, http://sppps.raj.nic.in) of the state; and PWD departmental website. The approximate value of the procurement is Rs. 50.05 Lacs.
(Naresh chand Meena)
Executive Engineer
PWD Division Dholpur
DIPR/C/13149/2025

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सानिवि नगर खण्ड बीकानेर
क्रमांक-1560 दिनांक-03.09.2025
Short Term Notice Inviting Bid: 17/2025-26
Bid for "Construction of RUB at 231/9-10 Lalgarh Bikaner (Risk and Cost)" are invited from interested bidders from 03.09.2025 (09.30 AM) to 13.09.2025 (06.00 PM) & Open date 15.09.2025 (11.00 AM), other particulars of the bid may be visited on the procurement portal http://www.pwd.rajasthan.gov.in & eproc.rajasthan.gov.in & http://sppp.rajasthan.gov.in of the state and departmental website. The approximate value of the procurement is Rs. 155.92 Lakh.
UBN NO. PWD2526WSOB11519
Executive Engineer
PWD City Division, Bikaner
DIPR/C/13126/2025

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग विद्युत खण्ड उदयपुर
क्रमांक-टीएस/डी-10 दिनांक-29.08.2025
निविदा सूचना संख्या-10/2025-26
राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से विद्युत कार्य (4) अनुमानित राशि 205.75 लाख में दोष निवारण एवं उनके सुधार (मय डीएलपी अवधि) शर्त सहित सार्वजनिक निर्माण विभाग में उपर्युक्त श्रेणी एवं उप श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया में ऑनलाईन निर्धारित प्रपत्र में निविदा दिनांक 16.09.2025 को सायं 6.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा से संबंधित समस्त विवरण वेबसाइट http://dipr.rajasthan.gov.in/tender.asp व www.eproc.rajasthan.gov.in तथा http://sppp.raj.nic.in पर देखा जा सकता है। शुद्धि पत्र केवल http://sppp.raj.nic.in व www.eproc.rajasthan.gov.in वेबसाईट पर अपलोड किये जायेंगे।
NIB CODE: PWD2526A3023, UBN NO. PWD2526WSOB11368, 70, 73, 76
अधिशाषी अभियंता
सा.नि.वि. विद्युत खण्ड उदयपुर
DIPR/C/12949/2025

कार्यालय अधीक्षण अभियंता जल संसाधन वृत्त जयपुर
क्रमांक-1933 दिनांक-29.08.2025
ई-निविदा सूचना संख्या 04/2025-26
UBN NO. WRD2526WSOB00920, NIB CODE NO. WRD2526A0378
राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से कार्य Rehabilitation of New Tank Maheshwa Irrigation Project District: Karauli जिसकी अनुमानित लागत 166.01 लाख है। वित्त विभाग के नवीन नियमों के तहत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से ई-निविदा के माध्यम से ई-प्रोक्यूमेंट प्रक्रिया हेतु आनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा दिनांक 29.08.2025 से दिनांक 15.09.2025 को 6.00 बजे तक डाउनलोड एवं अपलोड की जा सकती है। निविदा की तकनिकी बिड दिनांक 16.09.2025 को दोपहर 3.00 बजे खोली जावेगी। निविदा से संबंधित विवरण संबंधित वेबसाईट www.waterresources.rajasthan.gov.in, http://www.eproc.rajasthan.gov.in, http://sppp.rajasthan.gov.in से देख जा सकती है।
अधीक्षण अभियंता
जल संसाधन वृत्त जयपुर
DIPR/C/12943/2025

कार्यालय नगर परिषद, झुन्झुनू (राज.)
क्रमांक :-एफ(5)( )विकास/2025-26/10247 दिनांक :- 04.09.2025
ई-निविदा संख्या 10/2025-26
(NIB Code- DLB2526A5467)
कुल राशि - 25.49 लाख

निविदा की कुल लागत (लाखो में)	2549000/-
कुल धरोहर राशि 2 प्रतिशत (रूपये में)	50980/-
कुल धरोहर राशि 1/2 प्रतिशत (रूपये में)	12745/-
निविदा डाउनलोड करने की तिथि	05.09.2025 को प्रातः 11.00 बजे से 15.09.2025 प्रातः 11.00 बजे तक
निविदा अपलोड करने की तिथि	05.08.2025 को प्रातः 11.00 बजे से 15.09.2025 प्रातः 11.00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि	15.09.2025 दोपहर 2.00 बजे

निविदा सूचना इंटरनेट साईट http://www.eproc.rajasthan.gov.in एवं http://sppp.raj.nic.in वेबसाईट पर भी देखी जा सकती है।
आयुक्त
नगर परिषद झुन्झुनू
राज.संवाद/सी/25/9687

राजस्थान सरकार
कार्यालय राजस्थान राज्य अन्य पिछडा वर्ग (राजनैतिक प्रतिनिधित्व) आयोग, जयपुर
सार्वजनिक विज्ञप्ति
माननीय उच्चतम न्यायालय में योजित रिट पिटीशिन (सिविल) संख्या 278/2022 सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.05.2022 की अनुपालना में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर के आदेश क्रमांक एफ11()/रा.रा.पि.वर्ग (राजनैतिक)/बीसी/सान्याअवि/2025/33822 राजकाज रेफरेंस नं. 13616326 दिनांक 09.05.2025 द्वारा राज्य में अन्य पिछडा वर्ग की पिछडेपन की प्रकृति एवं उसके निहितार्थो की अनुभवजन्य तरीके से गहन जाच/अध्ययन के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकाय संस्थाओं के निर्वाचनों में अन्य पिछडा वर्ग के आरक्षण के संबंधि में अनुशंषाऐं प्रस्तुत किये जाने हेतु श्री मदन लाल भाटी सेवानिवृत न्यायाधीश की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय आयोग का गठन किया गया है। गठनोपरांत आयोग द्वारा इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान द्वितीय तल, जेएल एन मार्ग जयपुर में स्थित कार्यालय में अपना कार्य शुरू कर दिया गया है।
राज्य के जन साधारण/अन्य पिछडा वर्ग के कल्याण हेतु कार्यरत संस्थाओं/हितबद्ध व्यक्तियों से आयोग की अपील है कि राज्य के अन्य पिछडा वर्ग के पिछडेपन के अध्ययन के संबंध में अपना प्रत्यावेदन/सुझाव आयोग की E-MAIL ID obccommission25gmail.com पर अथवा जरिये डाक या किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में प्रस्तुत कर सकते है।
(अशोक कुमार जैन)
सचिव (सलाहकार)
राजस्थान राज्य अन्य पिछडा वर्ग
(राजनैतिक प्रतिनिधित्व) आयोग जयपुर (राजस्थान)
DIPR/C/13223/2023

सरपंच पर हमला करने वालों की गिरफ्तारी की मांग

भीलवाड़ा, (निसं)। सांगवा सरपंच उदयराम गाडरी और उनके परिजनों पर हुए हमले के विरोध में ग्रामीण गुरुवार को कलेक्ट्रेट स्थित पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ कठोर सजा दिलाने की मांग की है। सरपंच उदयराम गाडरी से जबरदस्ती पट्टा बनवाने के मामले में उन पर हुए जानलेवा हमला कर दिया। यहां तक कि जिस तरह से उन पर गैंग बनाकर हमला किया गया उससे लगता है कि आरोपियों को कानून व्यवस्था का किसी तरह खौफ नहीं है। अगर ग्रामीण बीच में नहीं आते तो हमलावर सरपंच उदयराम गाडरी की हत्या तक कर सकते थे। सरपंच गाडरी के परिवार की महिलाओं के साथ भी बदसलूकी की गई है।

एएनएम भंवरी देवी हत्याकांड मामला : बेटे और बेटियों को पेंशन नहीं दी

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर के एएनएम भंवरी देवी हत्याकांड मामले में हाईकोर्ट आदेश के पौने दो साल बाद भी उसके बेटे और बेटियों को पेंशन नहीं दी गई है। इस पर भंवरी देवी के बेटे साहिल पेमावत ने 3 सितंबर को हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी। उनके वकील का कहना है कि वर्तमान जोधपुर सीएमएचओ ऑफिस भंवरी देवी को मृत मानने को तैयार नहीं है। याचिका पर 9 सितंबर को जस्टिस रेखा बोराणा की कोर्ट ने सुनवाई करते हुए जोधपुर सीएमएचओ सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। कोर्ट ने 7 दिन के अंदर आवश्यक कागजात दाखिल करने के निर्देश दिए है। इसके बाद सुनवाई की अगली तारीख तय की जाएगी।

- **भंवरी देवी के बेटे साहिल पेमावत ने 3 सितंबर को हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी**

सरकार ने भंवरी देवी के बेटे साहिल को अनुकंपा पर नौकरी दी थी, लेकिन मृत्यु प्रमाण पत्र न होने के कारण पेंशन चालू नहीं की गई थी। याचिकाकर्ता भंवरी देवी के बेटे साहिल पेमावत की ओर से वकील यशपाल खिलेरी ने याचिका लगाई थी। शिकायत अनुसार जोधपुर सीएमएचओ ऑफिस ने भंवरी देवी का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं होने का बहाना बनाकर मामले को अटका रखा है। तत्कालीन जोधपुर सीएमएचओ ने ही 16 जनवरी 2012 को आदेश जारी कर भंवरी देवी को मृत मानकर उसे सेवा से पृथक करने का आदेश जारी किया था। इसके अलावा चिकित्सा विभाग ने 28 फरवरी 2012 को अनुकंपा नियुक्ति आदेश जारी कर भंवरी देवी के बेटे साहिल को अनुकंपा नियुक्ति भी दी थी।

एडवोकेट खिलेरी के अनुसार वर्तमान जोधपुर सीएमएचओ ऑफिस भंवरी देवी को मृत मानने को तैयार नहीं है और न ही अधीनस्थ कोर्ट से भंवरी देवी की मूल सेवा पुस्तिका लेने के लिए कोई कार्रवाई की है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार एक तरफ भंवरी देवी की हत्या का केस ट्रायल कोर्ट में साल 2011 से चल रहा है। दूसरी तरफ मृत्यु नहीं मानकर पेंशन और सेवानिवृत्ति परिलाभ नहीं देना चिकित्सा विभाग की गंभीर असंवेदनशीलता है।

कार्यालय अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड उदयपुर
क्रमांक-1292 दिनांक-28.08.2025
NIT NO. 10/2025-26
Notice Inviting Bid No. PWD2526A3003
राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से नगर खण्ड उदयपुर के अधीन उपखण्ड प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ एवं पंचम के अन्तर्गत भवन निर्माण/भवन सुदृढीकरण एवं नवीनीकरण कार्य के लिये उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान में पंजीकृत संवेदकों एवं राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/डाक एवं दूरसंचार विभाग/रेल्वे इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों, जो कि राजस्थान सरकार के उपयुक्त पात्र श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष से पांच वर्ष की गारण्टी अवधि सहित निम्न कार्यों की निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्यूरमेंट प्रक्रिया हेतु ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है।

कार्य का नाम	भवन कार्य-कुल सात (07) कार्य
निविदा की कुल लागत	राशि रू. 344.54 लाख
ऑनलाईन निविदा आवेदन डाउनलोड एवं अपलोड करने की तारीख	04.09.2025 प्रात 9.30 बजे से 14.09.2025 सायं 6.00 बजे तक
ऑन लाईन निविदा खोलने की तारीख	15.09.2025 सायं 4.00 बजे से

निविदा से सम्बन्धित समस्त विवरण वेबसाईट "http://dipr.rajasthan.gov.in", "http://eproc.rajasthan.gov.in" तथा "sppp.rajasthan.gov.in" पर देखा जा सकता है। सम्पूर्ण निविदा प्रक्रिया "http://eproc.rajasthan.gov.in" पर ऑनलाइन सम्पादित की जावेगी।
UBN NO. 1. PWD2526WSOB11275, 2. PWD2526WSOB11276, 3. PWD2526WSOB11277, 4. PWD2526WSOB11278, 5. PWD2526WSOB11283, 6. PWD2526WSOB11285, 7. PWD2526WSOB11286
(आर.के.मुंदड़ा)
अधिशाषी अभियंता
सार्वजनिक निर्माण विभाग
नगर खण्ड उदयपुर
DIPR/C/12897/2025

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-बस्सी (जयपुर)
क्रमांक-952 **ई-निविदा सूचना संख्या 06/2025-26** दिनांक-03.09.2025

निविदा के कार्य का नाम	-	1. Rate Contract for Flood Restoration Work on Various Roads in Sub Dn-Bassi-I under PWD Dn-Bassi (Package No. RJ-16-01/SDRF Bassi/2025-26) 2. Rate Contract for Flood Restoration Work on Various Roads in Sub Dn-Bassi-II under PWD Dn-Bassi (Package No. RJ-16-02/SDRF Bassi/2025-26) 3. Rate Contract for Flood Restoration Work on Various Roads in Sub Dn-Bassi-I under PWD Dn-Bassi (Package No. RJ-16-03/SDRF Bassi/2025-26) 4. Rate Contract for Flood Restoration Work on Various Roads in Sub Dn-Bassi-II under PWD Dn-Bassi (Package No. RJ-16-04/SDRF Bassi/2025-26)
निविदा राशि	-	180.12 लाख रूपये।
धरोहर राशि	-	अनुमानित लागत की दो प्रतिशत (360240.00) एवं 1/2 प्रतिशत (90060.00)
प्रोसेसिंग शुल्क एवं निविदा	-	वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र प.6(5)/वित्त/साविलेनि/2018 दिनाक
शुल्क जमा कराने की प्रक्रिया	-	27.04.2020 के अनुसार ई ग्रास पर आन लाईन के माध्यम से चालान द्वारा (परिपत्र संलग्न) 1. प्रोसेसिंग शुल्क-8658-00-102-16-02 निर्माण विभाग 2. निविदा शुल्क- 0075-00-800-52-01 3. धरोहर राशि- 8443-00-108-00-00 ऑफिस आई.डी. 4533
निविदा आवेदन/डाउनलोड करने की तारीख	-	गुरूवार, 04 सितम्बर, 2025 प्रात 9.30 बजे से सोमवार 15 सितम्बर 2025 दोपहर 12.00 बजे तक
निविदा शुल्क जमा कराने की तारीख	-	गुरूवार, 04 सितम्बर, 2025 प्रात 9.30 बजे से सोमवार 15 सितम्बर 2025 दोपहर 12.00 बजे तक
निविदा जमा कराने की तारीख	-	गुरूवार, 04 सितम्बर, 2025 प्रात 9.30 बजे से सोमवार 15 सितम्बर 2025 दोपहर 12.00 बजे तक
निविदा खोलने की तारीख	-	सोमवार 15 सितम्बर, 2025 को सायं 04.00 बजे।

UBN NO. PWD2526WSOB11616, PWD2526WSOB11617, PWD2526WSOB11618, PWD2526WSOB11619
(दिनेश कुमार मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड-बस्सी (जयपुर)
DIPR/C/13299/2025

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल
प्लॉट संख्या 14-15, मीणा कॉलोनी, जेल के पीछे, सवाई माधोपुर (राज.) 322001
क्रमांक :- रा.प्र.नि.मं./क्षे.का./स.मा./स.मा.-64/ दिनांक :-
आम सूचना
एकल उपयोग प्लास्टिक निर्माण इकाइयों की जानकारी देने पर 15000/- का पुरस्कार
राज्य सरकार द्वारा सम्पूर्ण राज्य में प्लास्टिक कैरी बैंग के उत्पादन, भण्डारण, वितरण, परिवहन एवं आयात पर प्रतिबन्ध लगाया हुआ है। साथ ही केन्द्र सरकार द्वारा चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक यथा प्लास्टिक स्टिक वाले इयर बड्स, गुब्बारे वाली प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक झंडे कैंडी एवं आइस क्रीम की प्लास्टिक स्टिक, सजावट हेतु थर्मोकोल (polystyrenc), प्लास्टिक प्लेट्स, प्लास्टिक कप, प्लास्टिक ग्लासेज, प्लास्टिक कटलरी जैसे कि चम्मच, कांटे, चाकू, स्ट्रॉ, मिठाई बॉक्स हेतु रैपिंग और पैकिंग फिल्म तथा 120 माइक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक कैरी बैग एवं 100 माइक्रोन से कम पीवीसी बैनर्स पर भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 12.08.2021 की पालना में 01 जुलाई 2022 से पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाया गया है।
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (RSPCB) ने एकल उपयोग प्लास्टिक (Single Use Plastic) के उत्पादन को रोकने के उद्देश्य से एक नई पुरस्कार योजना की घोषणा 13.08.2025 को की है। इस योजना के तहत, सवाई माधोपुर एवं करौली जिलों में एकल उपयोग प्लास्टिक/प्रतिबन्धित प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण इकाइयों की जानकारी देने वाले व्यक्तियों को 15000/- का नगद पुरस्कार प्रदान कि